कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक : 368 /रेनुकूट/ 15–31 रेनकूट,दिनांक,जुलाई, 26 ,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग, अन्तर्गत मे0 रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 126.27 हे0 में से 61.2348 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज को आगामी 10 वर्षो के लिये (21.06.2019 से 20.06.2029 तक) नवीनीकरण किये जाने के संबंध में नवीनीकरण प्रस्ताव का प्रेषण ।

संदर्भः– 1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 2384/11–सी, FP/UP/Others/39403/2019 लखनऊ दिनांक–18.06.2019
2–आपका पत्र संख्या– 5607/मी0/33 दिनांक– 19.06.2019

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 18.06.2019 द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव में 10 बिन्दुओं पर इंगित कमियों का निराकरण कराते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 4446/रेनुकूट/15–31 दिनांक– 20.06.2019 द्वारा प्रस्तावक कम्पनी को पत्र प्रेषित करते हुए प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया । संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक–15.07.2019 के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है जिसकी 3(तीन) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर संस्तुति सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 2384/11–सी, FP/UP/Others/39403/2019 लखनऊ दिनांक–18.06.2019 में अंकित विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है , किन्तु रिपोर्ट में भारत सरकार/राज्य सरकार के पत्रांक व दिनांक त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया प्रतीत होता है । अतः इसे संशोधित कर ऑनलाइन भाग–2 क्रमांक 15 में भी संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 क्रमांक–15 पर संलग्न करा दिया गया है ।
2	परियोजना में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है । अतः परियोजना में पस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र स्पष्ट रूप से संलग्न नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न करा दिया गया है ।
3	परियोलना में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण–पत्र में एन0पी0वी0 की गणना की दर प्रस्ताव में उल्लिखित इको क्लास व हरियाली धनत्व के अनुसार नही है । अतः इको क्लास व हरियाली धनत्व के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 दर का उल्लेख करते हुए लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–1 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–1 में अपलोड करा दिया गया है ।
4	एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रमाण–पत्र में एन0पी0वी0 की गणना की दर प्रस्ताव में उल्लिखित	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कराते हुए

	इको क्लास व हरियाली धनत्व के अनुसार नही है । अतः सही इको क्लास व हरियाली धनत्व के अनुसार सही एन0पी0वी0 की दर से संशोधित एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें ।	ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
5	गजट नाटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल चिन्हित नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल को चिन्हित करा दिया गया ।
6	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नही है ।
7	हार्डकापी भाग–2 से संबंधित सभी 13 बिन्दुओं का विवरण अंकित नही किया गया है अतः हार्डकापी भाग–2 से संबंधित सभी 13 बिन्दुओं का विवरण अंकित करते हुए संशोधित हार्डकापी भाग–2 संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में बिन्दु संख्या–13 में विवरण अंकित कराते हुए संशोधित अभिलेख संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
8	प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण व वन विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर व मुहर अंकित है किन्तु उनके नाम अंकित नही किये गये है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण व वन विभाग के अधिकारियों के नाम अंकित करा दिया गया है ।
9	प्रस्ताव में मूल लीज की सैद्धान्तिक स्वीकृत के पत्र दिनांक– 20.11.1995 की छाया प्रति एवं प्रथम लीज नवीनीकरण के सैद्धान्तिक स्वीकृत के पत्र दिनांक– 13.02.2017 की सत्यापित छायाप्रति संलग्न नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में मूल लीज की सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक– 20.11.1995 व प्रथम लीज नवीनीकरण के सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक– 13.02.2017 की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करा दिया गया है ।
10	पूर्व में ऑनलाइन अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्रो को ऑनलाइन से डिलिट करते हुये उपरोक्तानुसार संशोधित प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में पूर्व में ऑनलाइन अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्रो को ऑनलाइन से डिलिट कराते हुए संशोधित प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 3 प्रति</u> ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

<u>संख्या–368 अ/समदिनांकित</u> ।

प्रतिलिपिः श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, अधिकृत हस्ताक्षरी, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को उनके पत्र दिनांक– 15/22.07.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट